न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 167/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/01105
दायर दिनांक :– 20.09.2019 निर्णय दिनांक :– 11.05.2026

1. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. भागीरथराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. संगीता पुत्री भागीरथराम पत्नी श्रीकिशन जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. तहसीलदार बाप

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादिनी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि सरहद ग्राम कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1218 रकबा 85–02 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की स्थित है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत् 2072 से 2075 संलग्न दावा पेश है। वादग्रस्त काश्त भूमि पैतृक काश्त भूमि है जो वक्त भू प्रबन्ध से उत्तरोतर पीढी दर पीढी आज तक वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक निहित है। वादग्रस्त काश्त भूमि वर्तमान में वादीगण के पिता प्रतिवादी (भागीरथराम) के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसमें ग्राम कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1218 रकबा 85–02 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/15 हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश हैं। वाद पत्र में पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने–अपने हिस्सा की कब्जा काश्त भूमि पर प्रतिवादी से अलग काश्त करते चले आ रहे है और वादीगण अलग अपनी–अपनी हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी द्वारा अपने नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा होना स्वीकार कर वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीगण को अपना–अपना हिस्सा दर्ज करवाने का आश्वासन दिया जाता रहा है लेकिन दिनांक 28.07.2019 को वादीगण अपने हिस्से की काश्त भूमि की सार संभाल कर रहे थे, तब प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से पर आकर अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण वादग्रस्त काश्त भूमि को विक्रय करने की धमकी दी जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है, वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपना–अपना हिस्सा घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिस हेतु वादीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा का यह दावा पेश है।

Satya

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रविन्द्रसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता पर्वतसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादीगण की पुत्री संगीता एवं पत्नि शांति है, जिनको उक्त वाद पत्र पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये उक्त वाद का वादीगण, प्रतिवादी एवं प्रतिवादी की पुत्री व पत्नि संगीता एवं शांति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय किया जाना उचित है। वादी संख्या 2 के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादी का इकबालिया जवाब, तहसीलदार बाप का जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 148 सरहद ग्राम कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1218 रकबा 85–02 बीघा स्थित है। वादीगण के बयान पी.डब्लू–1 में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रदर्श नही किया गया है, वादीगण के पूर्वज लाधूराम पुत्र हरिंगाराम के नाम दर्ज भूमि का कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादी ने अपने वाद को वाद वादिगण दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से गुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर ... (राज.)

Satya

(सत्य नारायण, I. R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. भागीरथराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. संगीता पुत्री भागीरथराम पत्नी श्रीकिशन जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. तहसीलदार बाप

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 167/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2026 को जारी की गई।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।